राष्ट्रीय लोक अदालत, खण्डपीठ कमांक 42 त्योंथर, रीवा म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी—श्रीमती कामिनी प्रजापति)

Registration No.	RCT/580/2022
Filing Date	11-10-2022

//राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026//

14.03.2026

यह प्रकरण श्रीमती कामिनी प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 के न्यायालय से राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कमांक—42 के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त समरजीत यादव सहित श्री चिन्तामणि मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त पर भा.द.स. की धारा 294, 325, 506 भाग—2 के अंतर्गत अपराध का आरोप है। अधिरोपित भा.द.स. की धारा 294, 325, 506 भाग—2 के अपराध का आरोप न्यायालय की अनुमति से आहत द्वारा शमनीय है। आहत राजीनामा करने हेतु समक्ष व्यक्ति है। अतः भा.द.स. की धारा 294, 325, 506 भाग—2 के संबंध में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उभयपक्ष ने संयुक्त रूप से लिखित, हस्ताक्षरित डॉकेट फॉर्म एवं राजीनामा आवेदन पेश पर व्यक्त किया कि उनके मध्य बिना किसी डर, दबाब व प्रलोभन के स्वेच्छया पूर्वक आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। उनके मध्य अब किसी प्रकार का वाद विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण अब प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आवेदन पर फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री चिन्तामणि मिश्रा द्वारा की गई।

फरियादी आहत ने स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा करना व्यक्त किया है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 294, 325, 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त के जमानत मुचलके 6 माह बाद स्वमेव भारमुक्त समझे जावेंगें।

अभियुक्त द्वारा जेल में निरूद्ध अवधि के संबंध में धारा—468 बी0एन0एस0एस0 का प्रमाण—पत्र तैयार कर, संलग्न किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दण्डिक पंजी एवं सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण समयावधि के अन्दर अभिलेखागार में भेजे जाने हेतु संबंधित न्यायालय को भेजा जावे।

KAMINI PRAJAPATI

Digitally signed by KAMINI PRAJAPATI
Date: 2026.03.14 16:39:40 +0530

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
सदस्य,
नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ कमांक 42
त्योंथर रीवा (म.प्र.)

(कामिनी प्रजापति)
पीठासीन अधिकारी,
नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ कमांक 42
त्योंथर रीवा (म.प्र.)